

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(विश्व मंत्रालय - भारत सरकार)

से. रे. बो. कॉम्प्लेक्स, वी. टी. एम. रो.आऊट,

मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)

CSB Complex, BTM Layout

Madivala, BENGALURU - 560 068

NO. CSB/29/GPF/CIR/07-08/PF

Date: 02.01.2017

To

Sir,

Sub: Remittance of GPF Subscriptions /advance recoveries
for the year 2016-17 - reg

I am to invite a reference to the subject cited above and to request you to arrange remittance of the GPF recoveries by NEFT /RTGS /CORE and forward PRS daily back up file i.e. LDAT. ZIP file for the month of February 2017 immediately not later than 05/03/2017 by email to facilitate posting the credits in the ledger before closing of GPF Accounts and calculation of interest due for the year 2016-17. If the schedules along with the subscription amount are not received in Centra Office before the **FIRST WEEK OF MARCH 2017**, the subscription amount will not be credited to the subscribers account in the current Financial year resulting in loss of interest to the subscriber, for which the concerned units-in-charge are only responsible, which may please be noted.

This may kindly be treated as **MOST URGENT**.

Yours faithfully


(CA MANOHARAN.A)
JOINT DIRECTOR (FINANCE)



Copy to the Deputy Director(Computer) Central Office, CSB, Bangalore
for uploading in website



वेबसाइट Website : <https://csb.gov.in>

ई-मेल e-mail : jd@finance.csb@nic.in

फोन Phone : 080-26282699/26685060

26282305/304303

फैक्स Fax : 080-2678-458





केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala

बेंगलूरु Bangalore - 560068

र. केरेबो /29/सा भ नि/ परिपत्र /2007-08/भ नि

02 जनवरी, 2017

सेवा में

विषय : वर्ष 2016-17 के लिए सामान्य भविष्य निधि अंशदान/अग्रिम वसूली के प्रेषण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे यह अनुरोध करना है कि सा भ नि वसूलियों को नेफ्ट /आर टी जी एस/कोर बैंकिंग द्वारा भेजने की व्यवस्था करें तथा माह फरवरी, 2017 संबंधी पी आर एस दैनिक बैंक-आप फाइल अर्थात् एल डी ए टी, लिप फाइल ई-मेल द्वारा शीघ्र अद्योषित करें, ताकि सा भ नि खाते के समापन तथा वर्ष 2016-17 के लिए देय ब्याज के परिकलन के पहले लेजर में जमा दर्ज करने में सुविधा हो। अंशदान राशि के साथ अनुसूची यदि मार्च, 2017 के प्रथम सप्ताह के पहले केन्द्रीय कार्यालय में नहीं मिलती है तो अंशदान राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए अंशदान के खाते में जमा नहीं की जाएगी। इसी अंशदाता को ब्याज की हानि होती है। इसके लिए केवल एकक प्रभारी उत्तरदायी होगा जिसे कृपया नोट किया जाए।

इसे **अत्यावश्यक** समझा जाए।

भवदीय,

(Handwritten Signature)

(सी.ए. मनोहरन ए.)

संयुक्त निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि : उपनिदेशक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।